पत्रांकः–भवन / अभि0प्र0 (यो0)–07–निबंधन–228 / 2008..........8009/(भ) दिनांक 6.9.17

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
आदेश

मेसर्स बी0 के0 इन्टरप्राइजेज ग्राम–धनपुरा, पो0+था0–आरा नगर, जिला–आरा (भोजपुर) बिहार निबंधन सं0–प्रथम(फर्म)–02(भवन) / 2008 को आरा समाहरणालय भवन निर्माण कार्य को मंथर गति से करने एवं आपराधिक मामले में गिरफ्तारी होने के कारण कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल आरा के पत्रांक–1423 दिनांक–11.11.2013 द्वारा कोर्ट परिसर अन्तर्गत 10 कोर्ट भवन / बाजार समिति में 1000 एम0 टी0 अनाज गोदाम एवं नया आरा समाहरणालय भवन के निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं करने एवं पूर्ण करने की तत्परता नहीं दिखाने के फलस्वरूप विभागीय ज्ञापांक–895 दिनांक–28.01.2014 द्वारा डिबार करने के कार्यपालक अभियंता के आदेश को सम्पुष्ट करते हुये संवेदक के निबंधन को कालीकृत करने की कार्रवाई करने हेतु स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया।

तदुपरान्त विभागीय पत्रांक–9599 दिनांक–10.09.2014 एवं पत्रांक–10869 दिनांक–16.10.2014 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की माँग की गई, अनुपालन में मेसर्स बी0 के0 इन्टरप्राइजेज द्वारा अपने पत्रांक–151 दिनांक–27.10.2014 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि आरा समाहरणालय का निर्माण कार्य पुराने भवन को तोड़कर किया जाना था एवं पुराने भवन को तोड़ने पर जिला समाहरणालय आरा के स्थापना शाखा के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बिना जिला पदाधिकारी के पूर्वानुमति के नहीं तोड़ने का आदेश देने का उल्लेख किया गया है तथा यह भी उल्लेख किया गया है कि अब तक के निर्माण कार्य का जो मुझे भुगतान किया गया है वह प्राक्कलन के आधार पर किया गया है जब कि निर्माण कार्य डिजाइन के अनुसार करना पड़ा है। मुझे कार्य स्थल पूर्ण रूप से आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

इसी बीच विभाग के द्वारा आरा भवन प्रमण्डल के मूल निर्माण कार्य की जाँच करने का निदेश अधीक्षण अभियंता पटना भवन अंचल को दिया गया। अधीक्षण अभियंता पटना भवन अंचल पटना ने अपने पत्रांक–837 दिनांक–24.04.2015 द्वारा समाहरणालय भवन निर्माण कार्य एवं 10 कोर्ट भवन आरा के निर्माण कार्य से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें बिना कार्य कराये ₹1,47,49,779 / –(एक करोड़ सैंतालिस लाख उनचास हजार सात सौ उन्नासी) एवं ₹29,67,866 / –(उन्तीस लाख सरसठ हजार आठ सौ छियासठ) का अधिक भुगतान मेसर्स बी0 के0 इन्टरप्राइजेज को किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर वाद सं0–6773 / 2014 में दिनांक–20.01.2016 को पारित न्यायादेश एवं विभागीय अधिवक्ता से परामर्श प्राप्त किया गया। तत्पश्चात विभागीय समीक्षात्मक बैठक में भवन प्रमण्डल जहानाबाद अन्तर्गत प्रखण्ड सह अंचल सह आवासीय भवन निर्माण कार्य हुलासगंज प्रखण्ड जहानाबाद के कार्य में अभिरूचि नहीं लेने एवं निर्माण कार्य नहीं कराने एवं इसके अलावे भवन प्रमण्डल आरा अन्तर्गत गड़हनी प्रखण्ड एवं अगियाँव प्रखण्ड अन्तर्गत कर्मचारी आवास एवं परिसर विकास कार्य नहीं किये जाने के कारण विभाग को अलग से वित्तीय क्षति होने की संभावना बन गई है। उपर्युक्त क्रम में विभागीय समिति द्वारा दिनांक–25.02.2016 को संवेदक के स्पष्टीकरण पर अधीक्षण अभियंता, पटना भवन अंचल, पटना तथा सभी कागजातों के आधार पर समीक्षा की गई है। समीक्षोपरान्त पाया गया कि संवेदक द्वारा किया गया कार्य बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधानों के विरूद्ध है। अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में दिनांक–21.08.2017 को कालीकृत / निलंबन के संबंध में बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में मेसर्स बी0के0 इन्टरप्राइजेज ग्राम–धनपुरा पो0+थाना–आरा नगर जिला–आरा (भोजपुर) निबंधन सं0–प्रथम(फर्म)–02(भवन) / 2008 को तत्काल प्रभाव से 10(दस) वर्षों के लिए काली सूची में डालने का निर्णय लिया गया।

अत; बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका 11(क) (ii) में विहित प्रावधान के अनुरूप मेसर्स बी0 के0 इन्टरप्राइजेज ग्राम–धनपुरा, पो0+थाना–आरा नगर, जिला–आरा(भोजपुर) निबंधन सं0–प्रथम(फर्म)–02(भवन) / 2008 को तत्काल प्रभाव से 10(दस) वर्षों के लिए कालीकृत किया जाता है।

ज्ञापांक– भवन / अभि0प्र0 (यो0)–07–निबंधन–228 / 2008.......8009 (अ) पटना, दिनांक–......6.9.17

प्रतिलिपिः–मेसर्स बी0 के0 इन्टरप्राइजेज ग्राम–धनपुरा, पो0+था0–आरा नगर, जिला–आरा (भोजपुर) बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

5/9/17

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– भवन / अभि0प्र0 (यो0)–07–निबंधन–228 / 2008.......8009 (अ) पटना, दिनांक–......6.9.17

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग / पथ निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / ऊर्जा विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग / मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/9/17

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– भवन / अभि0प्र0 (यो0)–07–निबंधन–228 / 2008.......8009 (अ) पटना, दिनांक–......6.9.17

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल आरा एवं जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। आप अपने स्तर से उक्त संवदेक के विरूद्ध नियमावली 2007 के अनुरूप समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

5/9/17

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– भवन / अभि0प्र0 (यो0)–07–निबंधन–228 / 2008.......8009 (अ) पटना, दिनांक–......6.9.17

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5/9/17

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

5.9.17